इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022—कार्तिक 27, शक 1944

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

**नाम परिवर्तन**

मैं, पर्वत सिंह लोधी पुत्र श्री उमेद सिंह लोधी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र व दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं अन्य प्रपत्र इत्यादि में पर्वत सिंह लोधी लिखा गया है, जबकि मेरे ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम परसराम लोधी अंकित किया गया है, जो कि गलत है एवं वर्तमान में मैं, पर्वत सिंह लोधी पुत्र श्री उमेद सिंह लोधी इसी नाम से जाना, पहचाना और पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मैं, पर्वत सिंह लोधी पुत्र श्री उमेद सिंह लोधी के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा. अतः सूचना प्रकाशन के पश्चात् मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम परसराम लोधी के स्थान पर पर्वत सिंह लोधी पुत्र श्री उमेद सिंह लोधी लिखा एवं पढ़ा जावे एवं मुझे पर्वत सिंह लोधी पुत्र श्री उमेद सिंह लोधी के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम
**( परसराम लोधी )**

नया नाम
**( पर्वत सिंह लोधी )**
पुत्र—श्री उमेद सिंह लोधी,
पता— मकान नं. 70, मॉडर्न डी.सी. स्कूल के पास,
करारिया सी.आर.डब्ल्यू.एस., हुजूर, सिकन्दरी सराय,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1996)

## उपनाम परिवर्तन

मैं, कमलेश चन्द्र साहू (KAMLESH CHANDRA SAHU) पिता स्व. चिन्तामणि साहू, निवासी—गनियारी, थाना—वैढ़न, तहसील व जिला—सिंगरौली (म. प्र.) एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे कुछ रिकार्डों में त्रुटिवश नाम कमलेश चन्द्र गुप्ता (KAMLESH CHANDRA GUPTA) लेख हो गया है जिसे अब कमलेश चन्द्र साहू (KAMLESH CHANDRA SAHU) के नाम से जाना व पहचाना जाय, जो सर्वविदित हो.

पुराना नाम
**(कमलेश चन्द्र गुप्ता)**

नया नाम
**(कमलेश चन्द्र साहू)**
**(KAMLESH CHANDRA SAHU)**
निवासी—गनियारी, थाना—वैढ़न, तहसील व
जिला—सिंगरौली (म.प्र.)

(G-1997)

---

## नाम परिवर्तन

मैं, दिवाकर शर्मा पुत्र श्री कौशलेश शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरा घर का बोलता नाम दीपक कुमार शर्मा था जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200917153 में लिखा है. जबकि वर्तमान में मुझे दिवाकर शर्मा के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हैं जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य प्रपत्रों में लिखा है. दिवाकर शर्मा एवं दीपक कुमार शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं और भविष्य में भी मुझे दिवाकर शर्मा के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाएगा अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200917153 में मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा के स्थान पर दिवाकर शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
**(दीपक कुमार शर्मा)**

नया नाम
**(दिवाकर शर्मा)**
पुत्र श्री कौशलेश शर्मा
पता—एस.डी.एम. कोर्ट के पास सबलगढ़, मुरैना

(G-1998)

---

## नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक कुमार वर्मा पुत्र कैलाश कुमार वर्मा निवासी—301, सिंघाई हाइट्स, नियर मोती मस्जिद, भोपाल अपने अवयस्क पुत्र का नाम अर्नव वर्मा रखा है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं स्कूल की अंकसूची में अंकित है परंतु आधार कार्ड में उसके घर का बोलता नाम आराध्य वर्मा लिखा गया है यह कि मेरे पुत्र का नाम अर्नव वर्मा एवं घर का बोलता नाम आराध्य वर्मा है तथा अब उसे अर्नव वर्मा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
**(आराध्य वर्मा)**

नया नाम
**(अर्नव वर्मा)**
पुत्र अभिषेक कुमार वर्मा
निवासी—फ्लैट क्रमांक 301 सिंघई हाइट्स,
जहांगीरया स्कूल के सामने, नियर मोती मस्जिद, भोपाल.

(G-1999)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स बांके बिहारी स्टोन क्रेशर (M/S BANKE BIHARI STONE CRUSHER) साझेदारी फर्म कार्यालय बी–11, पुरूषोत्तम विहार, गोले का मंदिर, भिंड रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 474005 जो 5 फरवरी 2021 से कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0365/21 एवं पंजीयन दिनांक 17–03–2021 है.

जिसका संशोधित विलेख दिनांक 29 अगस्त 2022 को संपादित हुआ जो इस प्रकार है की श्रीमती आरती धनोलिया पत्नी श्री कमलेश कुमार गौर एवं श्रीमती दीप्ति मौर्य पत्नी श्री रणवीर सिंह फर्म में सम्मिलित हुए हैं.

मैसर्स बांके बिहारी स्टोन क्रेशर<br>
**(धर्मेंद्र दांतरे)**<br>
पार्टनर<br>
कार्यालय–बी–11, पुरूषोत्तम विहार, गोले का मंदिर,<br>
भिंड रोड,. ग्वालियर, मध्यप्रदेश

(G-2000)

---

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स महावीर सिंह जो वार्ड नं. 23 बदवारी मोहल्ला के पीछे म.नं. 1379, गोतम नगर नदी पर ताल मुरार ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 00065/10 है जिसमें दिनांक 14–06–2018 को भागीदार श्री दाऊजी लाल पुत्र स्व. श्री जिमिया निवासी एफ 53 जग जीवन नगर 60 फीट रोड कुमरपुरा थाटीपुर मुरार ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक को श्री मान सिंह मोर्य पुत्र स्व. श्री श्यामलाल निवासी गौतम नगर नदी पार ताल मुरार ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. तथा दिनांक 20–12–2021 को श्री महावीर सिंह पुत्र स्व. श्री मोहनलाल निवासी कुमरपुरा गोपाल आटा चक्की के पास थाटीपुर ग्वालियर अपनी अस्वस्था के कारण फर्म से पृथक हो गए हैं.

**(हाकिम सिंह)**<br>
भागीदार<br>
मैसर्स महावीर सिंह, म.नं. 1379, गोतम नगर,<br>
नदी पर ताल मुरार, ग्वालियर

(G-2001)

---

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में श्री एल.आर. एजेंसी (M/S SHREE L R AGENCIES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 1–6–2022 से एक भागीदार (1) श्री अंकित चौधरी पिता श्री महेन्द्र चौधरी निवासी वार्ड नं. 17 ग्राम पिपरिया बिरसा पोस्ट बनगांव तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1–6–2022 से एक भागीदार (1) श्री अनुज चौधरी पिता श्री महेन्द्र चौधरी निवासी हाउस नं. 31 ग्राम पिपरिया बिरसा पोस्ट बनगांव तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त फर्म का रजिस्टर्ड आफिस वार्ड नं. 15 रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने सिवनी रोड छिन्दवाड़ा तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

**(प्रवीणा चौधरी)**<br>
पार्टनर

(G-2002)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मीरा टाईल्स इंडस्ट्रीज 24/ए सेक्टर सी मंडीदीप रायसेन में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 01/03/02/00334/13 सन् 2013–2014 दिनांक 27–11–2013 है. दिनांक 11–6–2018 को श्रीमती नीतूसिंह जादौन पत्नी श्री कपिलसिंह जादौन पता 27–ए सूर्या नगर भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही है. तथा इसी दिनांक को श्रीमती अनितासिंह जादौन पत्नी श्री अमितसिंह जादौन पता 34–ए सूर्यानगर भोपाल फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं.

दिनांक 26–2–2022 को श्री राजीव पंजवानी पुत्र श्री लक्ष्मणलाल पंजवानी पता फ्लैट नं. 407 ओपल रेसीडेंसी नियर दानापानी रेस्टोरेंट गुलमोहर कालोनी भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं तथा इसी दिनांक को श्रीमती नीतूसिंह जादौन पत्नी श्री कपिलसिंह जादौन निवासी 27–ए सूर्यानगर भोपाल फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं.

दिनांक 29–9–2022 को श्रीमती रिचा पंजवानी पत्नी श्री राजीव पंजवानी निवासी फ्लैट नं. 407 रेसीडेंसी नियर दानापानी रेस्टोरेंट गुलमोहर कालोनी भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं तथा इसी दिनांक को श्री कपिलसिंह जादौन पुत्र श्री शिवरामसिंह जादौन पता 27–ए सूर्यानगर भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं. बाकी भागीदार यथावत रहेंगे.

**(राजीव पंजवानी)**
भागीदार
मीरा टाइल्स इंडस्ट्रीज

(G-2003)

---

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में आकाश कंस्ट्रक्शन (M/S AKASH CONSTRUCATION) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/0251/18 दिनांक 11–1–2018 है.

इस फर्म से दिनांक 1–11–2022 से दो भागीदार (1) श्री चन्द्रभान देवरी पिता श्री पांडुरंग देवरे निवासी साउथ सिविल लाईन देवरे कालीनी तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमती पूर्णिमा देवरे पति श्री चन्द्रभान देवरे निवासी साउथ सिविल लाईन कालोनी देवरे तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1–11–2022 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड आफिस वार्ड नं. 41 शहीद अमित ठेंगे वार्ड देवरे कालोनी साउथ सिविल लाईन तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

**(आकाश देवरे)**
भागीदार

(G-2004)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, शशी परदेशी म.नं. आई–11, पी.एच.ई. कॉलोनी, गवर्मेन्ट आवास, चूना भट्‌टी, कोलार रोड, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम रश्मि परदेशी RASHMI PARDESHI त्रुटिपूर्वक अतः भविष्य में मेरा नाम शशी परदेशी SHASHI PARDESHI के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्हीं नामों से जाना एवं पहचाना जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| (RASHMI PARDESHI) | (SHASHI PARDESHI) |
| W/O VIJAY KUMAR PARDESHI | W/O VIJAY KUMAR PARDESHI |
| | R/O H. No. I-11, Phe Colony, |
| | Govt. Awas, Chuna Bhatti, Bhopal, M.P. |

(G-2005)

---

## नाम परिवर्तन

मैं, सुधाम चंद बिजलानी पिता मुखी वाटुमल बिजलानी निवासी–मकान नं. जी–2/191 गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल म.प्र. का पूर्व नाम सुदामा बिजलानी पिता मुखी वाटुमल था अब आज दिनांक से मेरा नया नाम सुधाम चंद बिजलानी पिता मुखी वाटुमल बिजलानी से जाना व पहचाना जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| **(सुदामा बिजलानी)** | **(सुधाम चंद बिजलानी)** |
| | पिता मुखी वाटुमल बिजलानी |

(G-2006)

---

## नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी अयान कुरैशी पिता अनवर उद्‌दीन कुरैशी निवासी–28/13, लोकेन्द्र भवन रोड, बैंक कॉलोनी, रतलाम की निवासी है.

यह कि मुझ प्रार्थी अयान कुरैशी के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड अनुसार सही नाम मोहम्मद अयान कुरैशी (Mohammad Ayan Qureshi) एवं पिता का नाम अनवर उद्दीन कुरैशी (Anwar Uddin Qureshi) एवं माता का नाम कैश कुरैशी (Kaish Qureshi) है जिस कारण से उक्त संशोधन हेतु सूचना प्रकाशित आवश्यक हुआ है.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| **(अयान कुरैशी)** | **(मोहम्मद अयान कुरैशी)** |
| पिता अनवर कुरैशी | पिता अनवर उद्‌दीन कुरैशी |
| | 28/13, लोकेन्द्र भवन रोड, बैंक कॉलोनी, रतलाम |

(G-2007)

## नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थीया अबीश कुरैशी पिता अनवर उद्दीन कुरैशी निवासी–28/13, लोकेन्द्र भवन रोड, बैंक कॉलोनी, रतलाम की निवासी है.

यह कि मुझ प्रार्थीया अबीश कुरैशी के पिता का सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड अनुसार अनवर उद्दीन कुरैशी (Anwar Uddin Qureshi) एवं माता का नाम कैश कुरैशी (Kaish Qureshi) है जिस कारण से यह सूचना प्रकाशित करवाना आवश्यक है. उक्त संशोधन हेतु यह प्रकाशन करवाया जा रहा है.

पुराना नाम
**(अबीश कुरैशी)**
पिता अनवर कुरैशी

नया नाम
**(अबीश कुरैशी)**
पिता अनवर उद्दीन कुरैशी
28/13, लोकेन्द्र भवन रोड, बैंक कॉलोनी, रतलाम

(G-2008)

---

## आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के अधीन सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुनील जनरल स्टोर, पता–3, रविशंकर शुक्ला मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1605 दिनांक 13–03–1984 जिसमें दो भागीदारों (1) श्रीमती सुमन माहेश्वरी पत्नी श्री सुखदेव माहेश्वरी निवासी ई–2/40, नियर नर्मदा हास्पीटल, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) (2) सुनील माहेश्वरी पिता श्री सुखदेव माहेश्वरी, निवासी ई–2/40, नियर नर्मदा हास्पीटल, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) के अतिरिक्त फर्म की भागीदारी में दिनांक 20–9–2021 से श्रीमती इन्द्रा माहेश्वरी पत्नी श्री अनिल माहेश्वरी, निवासी ई–2/40, नियर नर्मदा हास्पीटल अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) सम्मिलित हो गई एवं फर्म के तीनों भागीदारों क्रमशः (1) श्रीमती सुमन माहेश्वरी पत्नी श्री सुखदेव माहेश्वरी, (2) सुनील माहेश्वरी पिता श्री सुखदेव माहेश्वरी (3) श्रीमती इन्द्रा माहेश्वरी पत्नी श्री अनिल माहेश्वरी में से भागीदार श्रीमती सुमन माहेश्वरी की दिनांक 6–10–2021 को मृत्यु होने के कारण, फर्म से पृथक किया जा रहा है. वर्तमान में फर्म दिनांक 10–10–2022 से दो भागीदारों (1) सुनील माहेश्वरी पिता श्री सुखदेव माहेश्वरी, (2) श्रीमती इन्द्रा माहेश्वरी पत्नी श्री अनिल माहेश्वरी द्वारा फर्म संचालित रहेगी एवं दिनांक 10–10–2022 से फर्म का मुख्य कार्यालय– फर्म मेसर्स सुनील जनरल स्टोर, पूर्व पता–3, रविशंकर शुक्ला मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से परिवर्तित कर फर्म का वर्तमान नवीन कार्यालय– मेसर्स सुनील जनरल स्टोर, पता–218, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

**(सुनील माहेश्वरी)**
**(इन्द्रा माहेश्वरी)**
भागीदार
मेसर्स सुनील जनरल स्टोर

(G-2009)

---

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स मॉ पद्मा कन्स्ट्रक्शन पताः– 16, सराफा, जबलपुर (म.प्र.) के नाम से एक भागीदार फर्म है.

इस फर्म का पंजीयन दिनांक 01–05–2005 को भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00017/05 सन् 2005–2006 के तहत् रजिस्ट्रार कार्यालय, जबलपुर संभाग में पंजीकृत है. इस फर्म से दिनांक 15–10–2022 को एक भागीदार श्री राजेश मिश्रा आत्मज स्व. श्री डालचंद मिश्रा पता– म.नं. 352 उपरेनगंज वार्ड, दीक्षितपुरा, जबलपुर अपनी स्वेच्छा से निकल रहे हैं एवं एक भागीदार श्री सुरेश कुमार मालवीय आत्मज स्व. श्री गेंदालाल मालवीय

पता– म.नं. एम.आई.जी.–21, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोविंद भवन, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं.

उक्त सभी भागीदार श्री कुबेर समदड़िया, श्री पवन समदड़िया, श्री संदीप तिवारी, श्री अखिलेश तिवारी नियमित रूप से रहेंगे एवं संशोधन के उपरांत आज दिनांक 26–10–2022 को पॉच भागीदार ही रहेंगे. उक्त फर्म का पता–16, सराफा, जबलपुर है.

**(सुनील बतरा)**
एडवोकेट

(G-2010)

---

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ग्रीन इन्फ्राटेच, एफ–30, संजय कॉम्पलेक्स लश्कर ग्वालियर जो कि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी जिसका पंजीयन नं. 02–42–01–00060–12 दिनांक 25–06–2012 है. उक्त फर्म से दिनांक 19–09–2021 को भागीदार श्री लख्मीचंद ठक्कर पुत्र श्री गुरूमुख दास ठक्कर पता डी–56, बसंत विहार ग्वालियर म.प्र. फर्म से मृत्यु हो जाने के कारण पृथक् हो गये हैं. एवं दिनांक 03–03–2022 को भागीदार 1. श्री हन्नी ठक्कर पुत्र स्व. श्री लख्मीचंद ठक्कर, 2. श्रीमती संतोष ठक्कर पत्नी स्व. श्री लख्मीचंद ठक्कर, 3. श्रीमती स्वाती ठक्कर पत्नी श्री दीपक ठक्कर निवासीगण डी–56, बसंत विहार ग्वालियर म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये हैं. एवं दिनांक 19–09–2021 से फर्म का मुख्य कार्यालय पता एफ–30, संजय कॉम्पलेक्स जयेन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर म.प्र. से परिवर्तित कर नवीन स्थल अमरकंटक रेसीडेंसी– 438, ग्राम डॉगरपुर ग्वालियर म.प्र. 474006 हो गया है. आम जन सर्वजन सूचित हो किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में सूचित करें.

**(श्री आयुष लढढा)**
भागीदार
मेसर्स ग्रीन इन्फ्राटेच,एफ–30,
संजय कॉम्पलेक्स जयेन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर म.प्र.

(G-2011)

---

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शीतल प्रसाद कॉन्ट्रेक्टर, C/o संजय ट्रेडर्स सदर बाजार राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 23–12–1993 है. दिनांक 21–09–2022 को भागीदार श्रीमती गीता बाई कोरी पुत्री भॅवर लाल कोरी, नि.–वार्ड क्र.10 संजय सागर कॉलोनी राघौगढ़ गुना फर्म में सम्मिलित हो रही है एवं दिनांक 21–09–2022 को श्रीमती कृष्णा कुशवाह पत्नि श्री शीतल प्रसाद कुशवाह, नि.–वार्ड नं. 17 पालिका बाजार, विजयपुर तह. राघौगढ़ जिला–गुना एवं श्रीमती अनीता जैन पत्नि श्री राजेश जैन नि.–वार्ड क्र.04 सदर बाजार राघौगढ़ जिला गुना स्वेच्छा से प्रथक हो रही है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

**(शीतल प्रसाद कुशवाह)**
भागीदार
मेसर्स शीतल प्रसाद कॉन्ट्रेक्टर,
C/o संजय ट्रेडर्स सदर बाजार राघौगढ़ जिला गुना

(G-2012)

# न्यायालयों की सूचनाएं

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र जिला–इंदौर, मध्यप्रदेश

क्रमांक– –रीडर–1/22

विज्ञप्ति ( फार्म चार )

मध्य प्रदेष पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

मदद अपना कर्तव्य पब्लिक ट्रस्ट पता–81, मित्रबंधु नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिषिष्ट मे दिया गया है, के संबंध मे आपत्ति अथवा दावा पेष करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र मे प्रकाषन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय मे न्यायालयीन दिवस एव समय मे स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति मे प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है । निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल – चल संपत्ति का विवरण)

मदद अपना कर्तव्य पब्लिक ट्रस्ट पता–81, मित्रबंधु नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर
अचल संपत्ति :– निरंक ।
चल संपत्ति :– रूपये 5,551/– (अक्षरी रूपये पाँच हजार पाँच सौ ईक्यावन रुपये मात्र)

आज दिनांक . को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

(G-2013)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

## न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी.नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र0क्र0– 02–बी–113–2022–23.

प्रारूप–4
(नियम–5 (1) देखिये)
सूचना–पत्र

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा–5 की उपधारा (2) और म0प्र0 लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एंव अनुविभागीय अधिकारी, टी0टी0 नगर भोपाल जिले के समक्ष

चूंकि डॉ0 विनय कुमार आ0 डॉ0 एस0पी0 शर्मा निवासी–फ्लेट नंबर–59, प्लेटिनम पार्क, माता मंदिर, भोपाल म0प्र0 ने लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा–के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी, एंव रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी0टी0 नगर भोपाल का लाइफ एण्ड होप फाउण्डेशन (ट्रस्ट) भोपाल लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिंनाक 27.10.2022 को उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए । उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नही किया जाएगा।

अनुसूची

1– ट्रस्ट का नाम :– लाइफ एण्ड होप फाउण्डेशन (ट्रस्ट) भोपाल म0प्र0।
2– अचल सम्पत्ति :– निल ।
3– चल सम्पत्ति :– निल।

आज दिंनाक 27.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीयन पदमुद्रा से जारी की गई।

(G-2014)

संजय कुमार श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील–कोलार, जिलाभोपाल, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक —बी—113—2022—23. / / सूचना / / भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022.

**(म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत)**

जैसा कि आवेदक श्री सांवर मल तुलस्यान अधिकृत / ट्रस्टी स्वामी अवधेशानंद फाउण्डेशन, भोपाल द्वारा स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन कमांक 01 / बी–113 / 2007–2008 में दिनांक 26.03.2013, दिनांक 19.05.2013 एवं दिनांक 24.07.2010 से न्यासी बोर्ड के बैठक में संकल्प लिये गये है / बदलाव किये गये है को ट्रस्ट पंजी / रजिस्टर में बदलाव किये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 9(1) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक ट्रस्ट नियम 1953 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 18/11/22.....को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में विभिन्न दिनांको से लिये गये संकल्पों एवं किये गये बदलावों में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

"अनुसूची"

| | | |
|---|---|---|
| 1.— | ट्रस्ट का नाम व पता — | **"स्वामी अवधेशानंद फाउण्डेशन न्यास"**<br>**पता— ए–480, मानसरोवर कॉलोनी शाहपुरा, भोपाल (म0प्र0)।** |
| **2.—** | **रजिस्ट्रेशन कमांक —** | **"01 / बी–113 / 2007–08पंजीकृत घोषित दिनांक16.06.2008।** |

आज दिनांक 19 / 10 / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(G-2015) **क्षितिज शर्मा**, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

## न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 0003 —बी—113 (1) —2022—23.

प्रारूप चार

विज्ञप्ति

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम,1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1),के अन्तर्गत।

**दिनांक 31.10.2022 को जारी**

जैसा कि **विजय जैन पिता बाबूलाल जैन निवासी वार्ड नंबर 32, अशोक टॉकिज के सामने इंदौर रोड, खण्डवा** ने अनुसूची मे दर्शित न्यास / संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप मे पंजीयन करने हेतू म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय मे दिनांक **30.11.2022** को विचार किया जायगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा।

### अनुसूची

| | |
|---|---|
| सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता | **"श्री संभवनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्री संघ खण्डवा" जिला खण्डवा** |
| चल संपत्ति | **9,00,000 / — नगदी (शब्दों में नौ लाख रूपये)** |
| अचल संपत्ति | निरंक |

(G-2016) **अरविंद कुमार चौहान**, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

## कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारिता नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम

क्रमांक–विधि–2022–1246 नर्मदापुरम, दिनांक 14 अक्टूबर 2022

(म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत )

नर्मदा सहकारी शक्कर कारखाना सहकारी सोसायटी मर्या.हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.वी./08 दिनांक 12.08.2001 है। उक्त सोसायटी के विगत 05 वर्षों के अंकेक्षण अनुवर्तन एवं विगत 03 वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर संबंधित संस्था के अंकेक्षकों को जारी पत्र क्रमांक 611 दिनांक 28.10.2020 तथा समिति को जारी कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 61 क्रमांक 145 दिनांक 31.01.2022 तथा क्रमांक 146 दिनांक 31.01.2022 के पालन में संस्था स्तर से कोई कार्यवाही नही की गई है संस्था व्दारा पंजीयन के उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नही होने की स्थिति में कारण वताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 18 (क) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/442 नर्मदापुरम दिनांक 06.04.2022 से जारी किया जाकर संस्था को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया उत्तर अप्राप्त रहने पर पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/539 दिनांक 12.04.2022 व्दारा पत्र जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया दैनिक छितिज किरण तथा राज एक्सप्रेस में दिनांक 02.06.2022 को सूचना पत्र प्रकाशित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 746 दिनांक 05.07.2022 व्दारा सहायक पंजीयक हरदा को संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण अनुवर्तन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। पुन: स्मरण पत्र क्रमांक 898 दिनांक 08.08.2022 से स्मरण कराया गया अंतिम सूचना पत्र क्रमांक1131 दिनांक 23.09.2022 से सुनवाई दिनांक 14.10.2022 को समक्ष में उपस्थित होकर पत्र समर्थन का अवसर प्रदान किया गया सुचना पत्र का प्रकाशन दैनिक जागरण दिनांक 01.10.2022 पत्रिका दिनांक 02.10.2022 तथा अनोखा तीर हरदा में दिनांक 02.10.2022 को किया गया। सहायक पंजीयक हरदा के प्रतिनिधि उपस्थिति हुये उनके व्दारा भी संस्था के अकार्यशील रहने वावत तथ्यों की पुष्टि की गई।

उपरोक्तानुसार सूचना पत्रों एवं समाचार पत्रों में सतत प्रकाशन के उपरांत भी संस्था के स्तर से उत्तर अप्राप्त रहने तथा संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अकार्यशील रहने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित होता है कि संस्था अपने पंजीयन के उदेश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है तथा भविष्य में संस्था का कार्य पुन: आरम्भ होने की संभावना नही रह गई संस्था को पंजीकृत सहकारी समितियों के रूप में कार्यरत रखना विधि अनुकूल नही है अत: म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 18(क) के तहत पंजीयक शक्तियों के अधीन रहते हुये नर्मदा सहकारी शक्कर कारखाना सहकारी सोसायटी मर्या.हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.वी./08 दिनांक 12.08.2001 का पंजीयन निरस्त किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

उपरोक्त अपंजीकृत संस्था में शासकीय समानुदेशिती के तौर पर श्री ए.पी.एस.विलोदिया अंकेक्षण अधिकारी को अन्य आगामी आदेश पर्यन्त अपंजीकृत संस्था से अनुषांगिक एवं परिणामिक आदेश हेतु नियत करता हूँ।

(G-2017)

क्रमांक–विधि–2022–1257　　　　नर्मदापुरम, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

(म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत )

साईं क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी मर्या.हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.बी./15 दिनांक 24.03.2009 है। उक्त सोसायटी के विगत 05 वर्षों के अंकेक्षण अनुवर्तन एवं विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर संबंधित संस्था के अंकेक्षकों को जारी पत्र क्रमांक 611 दिनांक 28.10.2020 तथा समिति को जारी कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 61 क्रमांक 142 दिनांक 31.01.2022 के पालन में संस्था स्तर से कोई कार्यवाही नही की गई है संस्था व्दारा पंजीयन के उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नही होने की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 18 (क) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/440 नर्मदापुरम दिनांक 06.04.2022 से जारी किया जाकर संस्था को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया उत्तर अप्राप्त रहने पर पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/536 दिनांक 12.05.2022 व्दारा पत्र जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया अनोखा तीर हरदा तथा नई दुनियां में दिनांक 02.06.2022 को सूचना पत्र प्रकाशित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 759 दिनांक 06.07.2022 व्दारा सहायक पंजीयक हरदा को संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण अनुवर्तन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। पुन: स्मरण पत्र क्रमांक 909 दिनांक 12.08.2022 तथा क्रमांक 1004 दिनांक 02.09.2022 से संस्था अंकेक्षक को प्रतिवेदन हेतु स्मरण कराया गया अंतिम सूचना पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2022 से सुनवाई दिनांक 14.10.2022 को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक जागरण दिनांक 01.10.2022 पत्रिका दिनांक 02.10.2022 तथा अनोखा तीर हरदा में दिनांक 02.10.2022 को किया गया। सहायक पंजीयक हरदा के प्रतिनिधि उपस्थिति हुये उनके व्दारा भी संस्था के अकार्यशील रहने बाबत तथ्यों की पुष्टि की गई।

उपरोक्तानुसार सूचना पत्रों एवं समाचार पत्रों में सतत प्रकाशन के उपरांत भी संस्था के स्तर से उत्तर अप्राप्त रहने तथा संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अकार्यशील रहने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित होता है कि संस्था अपने पंजीयन के उदेश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है तथा भविष्य में संस्था का कार्य पुन: आरम्भ होने की संभावना नही रह गई है। संस्था को पंजीकृत सहकारी समितियों के रूप में कार्यरत रखना विधि अनुकूल नही है अत: म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 18(क) के तहत पंजीयक शक्तियों के अधीन रहते हुये साईं क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी मर्या.हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.बी./15 दिनांक 24.03.2009 का पंजीयन निरस्त किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 18.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

उपरोक्त अपंजीकृत संस्था में शासकीय समानुदेशिती के तौर पर श्री ए.पी.एस. बिलोदिया अंकेक्षण अधिकारी हरदा को अन्य आगामी आदेश पर्यन्त अपंजीकृत संस्था से अनुषांगिक एवं परिणामिक आदेश हेतु नियत करता हूँ।

(G-2018)

क्रमांक–विधि–2022–1258

(म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत )

शिवाजी मुद्रणालय सहकारी सोसायटी मर्या.हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1642 दिनांक 19.11.1959 है। उक्त सोसायटी के विगत 05 वर्षों के अंकेक्षण अनुवर्तन एवं विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर संवधित संस्था के अंकेक्षको को जारी पत्र क्रमांक 611 दिनांक 28.10.2020 तथा समिति को जारी कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 61 क्रमांक 143 दिनांक 31.01.2022 तथा क्रमांक 144 दिनांक 31.01.2022 के के पालन में संस्था स्तर से कोई कार्यवाही नही की गई है संस्था व्दारा पंजीयन के उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नही होने की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 18 (क) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/441 नर्मदापुरम दिनांक 06.04.2022 से जारी किया जाकर संस्था को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया उत्तर अप्राप्त रहने पर पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/540 दिनांक 12.05.2022 व्दारा पत्र जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया प्रदेश टाइम्स दिनांक 25.05.2022 तथा स्वतंत्र समय में दिनांक 24.05.2022 को सूचना पत्र प्रकाशित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 679 दिनांक 17.06.2022 व्दारा सहायक पंजीयक हरदा को संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण अनुवर्तन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 750 दिनांक 05.07.2022 तथा क्रमांक 897 दिनांक 08.08.2022 से संस्था अंकेक्षक को प्रतिवेदन हेतु स्मरण कराया गया अंतिम सूचना पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2022 से सुनवाई दिनांक 14.10.2022 को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक जागरण दिनांक 01.10.2022 पत्रिका दिनांक 02.10.2022 तथा अनोखा तीर हरदा में दिनांक 02.10.2022 को किया गया। सहायक पंजीयक हरदा के प्रतिनिधि 14.10.2022 उपस्थित हुये उनके व्दारा भी संस्था के अकार्यशील रहने बावत तथ्यों की पुष्टि की गई।

उपरोक्तानुसार सूचना पत्रों एवं समाचार पत्रों में सतत प्रकाशन के उपरांत भी संस्था के स्तर से उत्तर अप्राप्त रहने तथा संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अकार्यशील रहने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित होता है कि संस्था अपने पंजीयन के उदेश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है तथा भविष्य में संस्था का कार्य पुनः आरम्भ होने की संभावना नही रह गई है। संस्था को पंजीकृत सहकारी समितियों के रूप में कार्यरत रखना विधि अनुकूल नही है अतः म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 18(क) के तहत पंजीयक शक्तियों के अधीन रहते हुये शिवाजी मुद्रणालय सहकारी सोसायटी मर्या.हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1642 दिनांक 19.11.1959 का पंजीयन निरस्त किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक ....18.10.22.... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

उपरोक्त अपंजीकृत संस्था में शासकीय समानुदेशिती के तौर पर श्री ए.पी.एस. विलोदिया अंकेक्षण अधिकारी हरदा को अन्य आगामी आदेश पर्यन्त अपंजीकृत संस्था से अनुषांगिक एवं परिणामिक आदेश हेतु नियत करता हूँ।

(G-2019)

क्रमांक–विधि–2022–1259

(म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत )

उन्नति साख सहकारी सोसायटी मर्या.नर्मदापुरम जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.एच./02 दिनांक 15.06.2015 है। उक्त सोसायटी के विगत 05 वर्षों के अंकेक्षण अनुवर्तन एवं विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर संबंधित संस्था के अंकेक्षकों को जारी पत्र क्रमांक 611 दिनांक 28.10.2020 तथा समिति को जारी कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 61 क्रमांक 191 दिनांक 31.01.2022 तथा क्रमांक 192 दिनांक 31.01.2022 के पालन में संस्था स्तर से कोई कार्यवाही नही की गई है संस्था व्दारा पंजीयन के उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नही होने की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र अंतर्गत धारा 18 (क) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/443 नर्मदापुरम दिनांक 06.04.2022 से जारी किया जाकर संस्था को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया उत्तर अप्राप्त रहने पर पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2022/538 दिनांक 12.05.2022 व्दारा पत्र जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया स्वदेश तथा प्रदेश टाइम्स में दिनांक 24.05.2022 को सूचना पत्र प्रकाशित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 745 दिनांक 05.07.2022 व्दारा सहायक पंजीयक (अंके.) नर्मदापुरम को संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण अनुवर्तन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 896 दिनांक 08.08.2022 से स्मरण कराया गया पत्र क्रमांक 992 01.09.2022 से संस्था के अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया अंतिम सूचना पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2022 से सुनवाई दिनांक 14.10.2022 को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया गया सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक जागरण दिनांक 01.10.2022 पत्रिका दिनांक 02.10.2022 तथा अनोखा तीर हरदा में दिनांक 02.10.2022 को किया गया। श्रीमति कंचन सोनी सहकारी निरीक्षक एवं संस्था अंकेक्षक नर्मदापुरम उपस्थिति हुई उनके व्दारा भी संस्था के अकार्यशील रहने बाबत तथ्यों की पुष्टि संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्तानुसार सूचना पत्रों एवं समाचार पत्रों में सतत प्रकाशन के उपरांत भी संस्था के स्तर से उत्तर अप्राप्त रहने तथा संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त सहने पर विगत 03 वर्षो से अधिक समय से अकार्यशील रहने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित होता है कि संस्था अपने पंजीयन के उदेश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है तथा भविष्य में संस्था का कार्य पुनः आरम्भ होने की संभावना नही रह गई संस्था को पंजीकृत सहकारी समितियों के रूप में कार्यरत रखना विधि अनुकूल नही है अतः म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 18(क) के तहत पंजीयक शक्तियों के अधीन रहते हुये उन्नति साख सहकारी सोसायटी मर्या.नर्मदापुरम जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.एच./02 दिनांक 15.06.2015 का पंजीयन निरस्त किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक ...18.10.22... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

उपरोक्त अपंजीकृत संस्था में शासकीय समानुदेशिती के तौर पर श्री एल.एम.अम्बुलकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक नर्मदापुरम को अन्य आगामी आदेश पर्यन्त अपंजीकृत

(G-2020)

**अभय कुमार खरे**, संयुक्त पंजीयक.

## नाम परिवर्तन

मैं, जया मंण्डेलिया नारायण (JAYA MANDELIA NARAYAN) पत्नी श्री शशांक नारायण सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा विवाह पूर्व का नाम जया मण्डेलिया पुत्री श्री बाल गोपाल मंण्डेलिया था जो मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र पेन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट बैंक इत्यादि में लिखा गया है. मेरा विवाह हिन्दु रीति रिवाज से दिनांक 14–12–2018 को शशांक नारायण से हो जाने के कारण मेरा नाम जया मंण्डेलिया नारायण (JAYA MANDELIA NARAYAN) हो गया है एवं वर्तमान में मुझे जया मंण्डेलिया नारायण के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जा रहा है. और भविष्य में भी मुझे जया मंण्डेलिया नारायण (JAYA MANDELIA NARAYAN) के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाएगा अतः मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, पेन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट, बैंक इत्यादि में मेरा नाम जया मंण्डेलिया के स्थान पर जया मंण्डेलिया नारायण (JAYA MANDELIA NARAYAN) लिखा एवं पढ़ा जावे साथ ही मेरे विवाह प्रमाण पत्र एवं APOSTILLE में मेरा नाम जया नारायण के स्थान पर जया मंण्डेलिया नारायण पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
**(जया मंण्डेलिया)**

नया नाम
**(जया मंण्डेलिया नारायण)**
पत्नी श्री शशांक नारायण
पता–सूर्य मंदिर रोड रेसिडेंसी, मुरार,
ग्वालियर, (म.प्र.)

(G-2021)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022—कार्तिक 27, शक 1944

# भाग 3 ( 2 )

## सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.